<u>न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), बिधूना, जनपद औरैया।</u>

CNR No. UPAU120025272022

<u>परिवाद संख्या–338 / 2022</u>

मनीष कुमार बनाम निहाल सिंह उर्फ मिहाल
थाना बिधूना, जिला औरैया।

<u>दिनांक–18.08.2022</u>

पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को विपक्षी की तलबी के बिन्दु पर सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी का संक्षेप में कथन है कि विपक्षी ने अपने उत्तर दायित्व के निर्वाहन में परिवादी को एक चैक नम्बर 013942 दिनांकित 20.07.2015 को पंजाब नेशनल बैंक शाखा द्वारिकाधीश रोड कानपुर मुव0 75,000/–रुपये की प्रदान की कि उक्त चैक को बैंक में लगाने से धनराशि प्राप्त कर लेना। परिवादी ने उक्त चैक को अपने खाता संख्या 7334000100085298 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिधूना में दिनांक 21.07.2015 को भुगतान प्राप्ति हेतु लगायी, लेकिन बैंक द्वारा उक्त चैक दिनांक 21.07.2015 को ही उक्त चैक "फण्ड्स इन्सफीसिएन्ट" की टिप्पणी के साथ प्रार्थी को बिना भुगतान वापस कर दी गयी। बैंक द्वारा चैक का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 05.08.2015 को विपक्षी को नोटिस प्रेषित करवाया। जिसमें हिदायत दी कि नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर आप उपरोक्त चैक में अंकित धनराशि हस्तगत करा दें, लेकिन विपक्षी ने जानबूझकर नोटिस तामील नहीं किया और न ही प्रार्थी को धनराशि प्रदान की। विपक्षी का यह कृत्य लिखित पराकम्य अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत अपराध की परिधि में आता है। अतः विपक्षी को धारा 138 एन0आई0 एक्ट0 के अन्तर्गत तलब कर दण्डित किये जाने की कृपा करें।

परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रुप में मूल चैक एक अदद, एक किता रिटर्न मैमो बैंक आख्या, नोटिस व रजिस्ट्री रसीद दाखिल किये गये हैं।

परिवाद कथन के समर्थन में परिवादी ने स्वयं को जरिये धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया, जिसमें परिवाद कथानक का समर्थन किया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षी निहाल सिंह उर्फ मिहाल सिंह के विरूद्ध धारा 138 एन0आई0 एक्ट का अपराध बनना प्रतीत होता है। तद्नुसार विपक्षी उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतएव विपक्षी निहाल सिंह उर्फ मिहाल सिंह को अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी पैरवी अन्दर सप्ताह करे। अभियुक्त को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 01.09.2022 को पेश हो।

अपर सिविल जज (जू0डि0),
बिधूना, औरैया।
JO Code No. UP 3738